न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0–159/2018
CIS NO. PS 6/2019

सविता रानी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विश्वजीत साहा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
16.01.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.09.2022 पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (Order)** वादीगण की ओर से दिनांक 19.09.2022 को एक आवेदन दाखिल किया गया। जिसमें वादीगण का निवेदन है कि दिनांक 02.06.2022 को वादीगण का संशोधन आवेदन स्वीकार कर निर्धारित समय सीमा के अंदर वादीगण को वादपत्र में संशोधन करने का निर्देश दिया गया। भूलवश वादीगण की ओर से श्रीमान् के आदेश का अनुपालन नही हुआ है तथा आदेशानुसार वादपत्र में संशोधन नही हो सका है। न्यायहित में आदेशानुसार वादपत्र में संशोधन करना अति आवश्यक है अन्यथा वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आदेश के अनुपालन में हुये विलम्ब को माफ करते हुए वादीगण को आदेश दिनांक 02.06.2022 का अुनपालन करने का आदेश देने की कृपा की जाय। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की ओर से दिनांक 19.11.2022 को वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें वादीगण का आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टिकोण से खारिज करने योग्य बताया गया तथा कहा गया कि दिनांक 02.06.2022 को न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नही किया गया बल्कि दिनांक 14.06.2022 को न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था। वादीगण या वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन ससमय नही किया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 14.06.2022 को वादीगण के आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 पर न्यायालय द्वारा गुण–दोष के आधार पर उभय पक्षों	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0–159/2018
CIS NO. PS 6/2019

लगातार 16.01.2023	को सुनकर आदेश किया गया। जिसमें वादीगण द्वारा प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किया गया तथा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया गया कि विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में अपेक्षित संशोधन करें परंतु वादीगण द्वारा नियत समय में वादपत्र में संशोधन नही किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि उभय पक्षों के द्वारा वाद से सम्बंधित सभी तथ्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे की वाद की बहुलता को रोका जा सके। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 19.09.2022 को मो0–300/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि आगामी 14 दिनों के भीतर वादपत्र में अपेक्षित संशोधन करें। आगामी दिनांक 27.01.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	